**दि ओरिएण्‍टल इंश्‍योरेंस कंपनी लिमिटेड़प्रधान कार्यालय, ए-25/27, आसफ अली, नई दिल्‍ली**

**कर्मकार क्षतिपूर्ति बीमा**

जबकि अनुसूची में उल्लिखित व्‍यवसाय करने वाले व्‍यक्ति ने प्रस्‍ताव एवं घोषणा द्वारा, जो इस संविदा का आधार होगी और जिसे इसमें समाविष्‍ट माना जाएगा, कंपनी लिमिटेड को उल्लिखित प्रयोजन के बीमा के लिए आवेदन किया है और ऐसे बीमे के प्रतिफल के रूप में प्रीमियम का भुगतान कर दिया है, या करना स्‍वीकार कर लिया है।

अब यह पॉलिसी साक्षी है कि यदि बीमें की अवधि के दौरान बीमाकृत व्‍यक्ति के सीधे नियोजन में कोई भी कर्मचारी बीमाकृत व्‍यक्ति के सीधे नियोजन में कोई भी कर्मचारी बीमाकृत व्‍यक्ति द्वारा रोजगार के दौरान रोग या दुर्घटना से व्‍यक्तिगत रूप में क्षतिग्रस्‍त होगा निम्‍न के अंतर्गत बीमाकृत व्‍यक्ति ऐसी क्षतिपूर्ति अदा करने के लिए दायी होगा। सूची में उल्लिखित कानून या लोकविधितब कंपनी इसमें उल्लिखित या इसके साथ पृष्‍ठांकित अपवादों और शर्तों के अधीन बीमाकृत व्‍यक्ति को उन सभी राशि के प्रति क्षतिपूर्ति करेगी, जिनके लिए बीमाकृत व्‍यक्ति दायी होगा और इसके अतिरिक्‍त ऐसी क्षतिपूर्ति के लिए किसी दावे को प्रतिवादित करते हुए उनकी सहमति से किए गए सभी खर्च व लागत देने के लिए उत्‍तरदायी होगी ।

सदैव के लिए शर्त है कि कानून में किसी परिवर्तन या किसी अन्‍य कानून के प्रतिस्‍थापना की स्थिति में यह पॉलिसी स्‍थायी रहेगी, लेकिन कंपनी का दायित्‍व उस राशि तक सीमित होगा, जिसके लिए कंपनी कानून में परिवर्तन न होने की स्थिति में देय होती।

अपवाद

इस पॉलिसी के अंतर्गत कंपनी की निम्‍न के संबंध में देयता नहीं होगी:-

1. युद्ध, आक्रमण, विेदशी शत्रु की कार्यवाही, शत्रुतापूर्ण कार्यवाही (चाहे युद्ध घोषित हुआ हो या नहीं), गृह युद्ध, विद्रोह, राजद्रोह, क्रान्ति या मिलिट्री या हथियाई गई सत्‍ता, के कारण प्रत्‍यक्ष रूप से रोग या दुर्घटना द्वारा कोई क्षति।
2. ठेकेदारों के कर्मचारियों का बीमाकृत पर दायित्‍व ।
3. किसी समझौते के कारण बीमाकृत पर कोई दायित्‍व उद्भूत हो लेकिन जो ऐसे समझौते की अनुपस्थिति में में संलग्नित न हो।
4. कोई ऐसी राशि जो बीमाकृत व्‍यक्ति किसी पार्टी से वसूल करने का हकदार हो, लेकिन बीमाकृत व्‍यक्ति और ऐसी पार्टी के मध्‍य समझौते के लिए।
5. श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम,1923, जिसे श्रमिक क्षतिपूर्ति (संशोधित) अधिनियम,1984 के तहत अधिनियम आवरण क्षेत्र प्रदान किया गया हो, कि अनुसूची -3 के खंड”सी” में वर्णित रोग के लिए क्षतिपूर्ति, अन्‍यथा इसे अतिरिक्‍त प्रीमियम अदा करके आवरित न किया जाए।

पृष्‍ठांकन

यह एतदद्वारा करार किया जाता है या मान लिया जाता है कि पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्‍ध कवर को बीमाकृत व्‍यक्ति/बीमाकर्ता को श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम,1923 व उसकी अनुवर्ती संशोधन के अंतर्गत अपेक्षाओं के पालन न करने के कारण उस/उन पर कोई ब्‍याज और/या जुर्माने के संबंध में बढ़ाया नहीं जाएगा।

शर्तें

1. पॉलिसी और अनुसूची को एक संविदा के रूप में पढ़ा जाए और पॉलिसी के किसी भाग में या अनसू‍ची में उल्लिखित कोई शब्‍द या अभिव्‍यक्ति का अर्थ पॉलिसी में किसी भी स्‍थान पर उल्लिखित शब्‍द का वही अर्थ होगा।
2. पॉलिसी के अंतर्गत दिया गया प्रत्‍येक नोटिस या सूचना कंपनी को लिखित रूप में भेजी जाएगी।
3. बीमाकृत दुर्घटना व रोग से बचने के लिए सभी उचित बचाव के उपाय करेगा और सभी सांविधिक बाध्‍यताओं का पालन करेगा।
4. ऐसी किसी घटना के संबंध में जिसके संबंध में इस पॉलिसी के अंतर्गत दावा उद्भूत हुआ हो, बीमाकृत शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण ब्‍यौरे सहित कंपनी को सूचित करे। दावे का प्रत्‍येक पत्र, हुक्‍मनामा सम्‍मन व प्रक्रिया प्राप्‍त होने के तुरंत पश्‍चात कंपनी को भेजने चाहिए। इस घटना से संबंधित किसी प्रकार के समुपस्थित अभियोजन जांच या अनिवार्य जांच के संबंध में उसका ज्ञान होते ही बीमाकृत व्‍यक्ति कंपनी को नोटिस दें।
5. कंपनी की लिखित सहमति के बिना बीमाकृत व्‍यक्ति या उसके पक्ष में कोई स्‍वीकृति प्रस्‍ताव, वादा, या भुगतान नहीं किया जाएगा, जो कि बीमाकृत व्‍यक्ति के नाम किसी दावे के निपटान या बचाव के लिए या दावा लाभ क्षतिपूर्ति स्‍वंय प्राप्‍त करने के लिए बीमाकृत व्‍यक्ति के नाम कार्रवाई करने के लिए हम प्राप्‍त करने की इच्‍छा से कोई हो, और कंपनी अपनी समझबूझ (विवेक) से दावे का निपटान या कार्रवाई करेगी और इस संबंध में बीमाकृत व्‍यक्ति द्वारा कंपनी को अपेक्षित सभी सूचनाएं और सहायता दी जाएगी।
6. स्‍वीकार की गई प्रथम प्रीमियम व उसके पश्‍चात सभी नवीकरण प्रीमियम को बीमाकृत व्‍यक्ति द्वारा इस अवधि के दौरान कर्मचारियों को दिए गए वेतन, मजदूरी या अन्‍य आमदनी के साथ समाहित किया जाएगा। प्रत्‍येक कर्मचारी का उसके वेतन, मजदूरी या अन्‍य आय सहित सभी रिकार्ड रखा जाए व बीमाकर्ता को किसी भी समय ऐसे रिकार्ड को जांच करने की अनुमति होगी और ऐसे बीमे की अवधि की समाप्ति तिथि के एक मास के भीतर बीमा अवधि के दौरान किए गए ऐसे सभी वेतन मजदूरी व अन्‍य आय की सही राशि की सूचना कंपनी को दी जाएगी। यदि अदा की गई प्रीमियम से भिन्‍नता रखती है, तो ऐसे अंतर के संबंध में स्थिति अनुसार प्रीमियम का अनुपातिक दर से भुगतान कर दिया जाएगा या कंपनी से वापिस ले लिया जाएगा।
7. कंपनी (धोखाधडी, नैतिक जोखिम,गलत ब्‍यानबाजी एवं असहयोग के आधार पर) बीमाकृत व्‍यक्ति के अंतिम ज्ञात पते पर पंजीकृत पत्र द्वारा 30 दिन का नोटिस देकर पॉलिसी रद्द कर सकती है। ऐसी परिस्थिति में कंपनी शर्त संख्‍या 6 के अनुसार कंपनी बीमा की असमाप्‍त अवधि का यथा-अनुपात प्रीमियम बीमित को वापस करेगी।

बीमाधारक किसी भी समय पॉलिसी को निरस्‍त कर सकता है, उस स्थिति में कंपनी के केवल लघुअ अवधि दर (सारणी नीचे दी गई है) के अनुसार प्रीमियम वापस करने की अनुमति देगी बशर्ते कि निरस्‍त करने की तारीख तक कोई दावा न किया गया हो।

|  |  |
| --- | --- |
| **जोखिम की अवधि** | **प्रीमियम की दर** |
| 1 माह तक  | वार्षिक दर का ¼ भाग |
| 3 माह तक | वार्षिक दर का 1/2 भाग |
| 6 माह तक | वार्षिक दर का ¾ भाग |
| 6 माह से अधिक | पूरी वार्षिक दर |

1. यदि इस पॉलिसी के अधीन अदा की जाने वाली राशि के विषय में कोई मतभेद(दायिता अन्‍यथा मान्‍य होने पर) हो तो ऐसे मतभेद को ( अन्‍य सभी मदों से निर्पेक्ष होकर) मतभेद रखने वाले पक्षों द्वारा लिखित में नियुक्‍त मध्‍यस्‍थ के पास निर्णय के लिए भेज दिया जाएगा अथवा यदि कोई भी एक पक्ष सफल मध्‍यस्‍थ के लिए 30 दिनों के भीतर राजी न हों तो ( ऐसे मतभेद को) तीन मध्‍यस्‍थों के पैनल को भेजा जाएगा जिसमें दो मध्‍यस्‍थ सम्मिलित होंगे, एक-एक मध्‍यस्‍थ दोनों विवादित/मतभेद पक्षों से होगा तथा तीसरा मध्‍यस्‍थ दोनों मध्‍यस्‍थों द्वारा नियुक्ति किया जाएगा तथा ऐसी नियुक्ति समय-समय पर यथा-संशोधित और उस समय लागू मध्‍यस्‍था अधिनियम, 1996 के अधीन होगा।

यह स्‍पष्‍टत: करार किया जाता है, तथा मान लिया जाता है कि यदि कंपनी ने इस पॉलिसी के अधीन या संबंध में दावे का विरोध किया है या दायिता स्‍वीकार नहीं की हे, तो कोई मतभेद या विरोध मध्‍यस्‍थता के लिए नहीं भेजा जा सकता जैसा कि इससे पहले का प्रावधान किया गया है।

इसके द्वारा अभिव्‍यक्‍त रूप से यह निर्देश किया जाता है तथा घोषित किया जाता है कि इस पॉलिसी के अधीन कोई कार्रवाई अथवा मुकदमा करने के अधिकार से पहले शर्त होगी कि हानि अथवा क्षति की राशि के संबंध में ऐसे मध्‍यस्‍थ/मध्‍यस्‍थों अथवा द्वारा अधिनिर्णायक किया गया पंचाट पहले ही प्राप्‍त कर लिया जाए ।

आगे इसके द्वारा यह भी करार और घोषित किया जाता है कि यदि कंपनी इसके अंतर्गत किए गए दावे के लिए बीमाकृत व्‍यक्ति के प्रति दायिता अस्‍वीकार करेगी और ऐसे दावे को ऐसी अस्‍वीकृति की तारीख से 12 महीने के अंदर न्‍यायालय में वाद का विषय नहीं बनाया जाता तो उस दावे के विषय में यह मान लिया जाएगा कि उसका सभी दृष्टियों से परित्‍याग कर दिया है। और इसके बाद उसकी इस पॉलिसी के अंतर्गत वसूली नहीं की जाएगी।

1. इस पॉलिसी के अंतर्गत कोई भुगतान करने की कंपनी की किसी दायिता के लिए इस आशय के वास्‍ते यह पूर्व शर्त होगी कि इस पॉलिसी के निबंधनों, शर्तों और पृष्‍ठांकनों का उचित पालन उस सीमा तक किया जाए जहां तक बीमाकृत व्‍यक्ति द्वारा किसी बात के लिए जाने या उनका पालन किए जाने और उक्‍त प्रस्‍ताव फार्म के कथनों और उत्‍तरों की सत्‍यता का संबंध है।

बीमाकृत व्‍यक्ति को नोटिस

 इस बीमे की किन्‍हीं शर्तों में कोई परिवर्तन तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि कंपनी के मान्‍यताप्राप्‍त अधिकारी द्वारा हस्‍ताक्षरित न हो। कोई नवीकरण रसीद वैध नहीं है, जब तक कि वह प्रिंट किए गए कार्यालय फार्म पर न हो और पूर्ण रूप से से प्राधिकृत एजेंट के हस्‍ताक्षर न किए गए हों।

वारंटी

यहॉं पर उल्लिखित कर्मकार क्षतिपूर्ति विेधेयक में किसी प्रकार के परविर्तन की स्थिति में या उसके स्‍थान पर कोई अन्‍य विधेयक आने पर पॉलिसी प्रभावी रहेगी परंतु ऐसे किसी विधेयक के अंतर्गत दावा होने पर कंपनी की देयता उनकी राशि के भुगतान तक की सीमित रहेगी जितना कि पॉलिसी में उल्लिखित विधि के अनुसार ही भुगतान करने के लिए कंपनी देय होगी तथा शेष अपरिवर्तित ही रहेगा।

इस पॉलिसी के मामले में किसी कारणवश कोई विधिक विवाद उत्‍पन्‍न होने पर या मामले को मध्‍यस्‍थता हेतु उल्लिखित करने पर या किसी भी अन्‍य कारण से मामले को न्‍यायालय में प्रस्‍तुत करने पर, प्रशुल्‍क सलाहकार समिति द्वारा मूल रूप से तैयार किए गए अंग्रेजी पॉलिसी फार्मों को ही सही माना जाएगा।